RTI No. 71

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/71/2016-17

12 सितंबर, 2017

श्री धीरेन्द्र चौबे,
उप-सचिव/केन्द्रीय सूचना अधिकारी,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 92, संसद भवन
नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री दिनेश प्रसाद पुत्र स्व. छितेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट शिवपुर दीयर नयी बस्ती जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का 28.08.2017 का पत्र इस कार्यालय में 05.09.2017 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रूपये का नोट जिसका नं. 40G 462907 संलग्न कर राज्य सभा/लोक सभा से संबंधित विषयों की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय-वस्तु राज्य सभा सचिवालय से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Naresh Singh
13/9/17 S/Post

RTI No. 71

सेवा में - श्रीमान् मा० - राज्य सभा अध्यक्ष महोदय/
जनसूचना अधिकारी महोदय भारत सरकार नयीदिल्ली

Vice President's Secretariat
Dy. No. 653
Date 2/9/17
New Delhi

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम धारा 2005(6)(3) में
सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

महोदय (1) कृपया सम्बन्धित आवेदन के साथ
संलग्नक प्रार्थना पत्र द्वारा प्रति पर आपके द्वारा जो भी
निर्णय लिया जा रहा है उसकी प्रतिलिपि से आवेदक
को सूचना प्राप्त करावे

(2) कृपया सम्बन्धित प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक द्वारा
प्रति प्रार्थना पत्र जो तीन बिन्दु से वर्णित है उक्त
तीनों बिन्दु को निर्धारित बैठक सत्र में प्रस्ताव करना
जनहित में उचित है या नहीं

28/8/2017

प्रार्थी

IPO 10
40G-462907

निर्भय प्रसाद S/o श्री द्विवेदी प्रसाद
ग्राम पोस्ट खैरपुर दीपनगरी पट्टी
जिला बलिया उ०प्र०

सेवामें श्रीमान् मा० गृहमन्त्री जी / मा० लोकसभा अध्यक्ष महोदय / राज्यसभा अध्यक्ष महोदय भारत सरकार नयी दिल्ली / मा० विधान सभा अध्यक्ष महोदय उ० प्र० लखनऊ

विषय :- सम्बन्धित आवेदन पत्र में दिये जा रहे बिन्दुओं पर जनहित में विचार कर आपमहोदयगण के सभा कक्ष से सर्व सम्मती से प्रस्ताव कर सर्वजनिक करने के सम्बन्ध में तथा कृत कार्यवाही की सूचना आवेदक को प्राप्त कराने के सम्बन्ध में :-

महोदयद्वय जी — सादर अनुरोध के साथ सर्वजनिक लाभ के लिए निम्नांकित बिन्दुओं का आपमहोदय गण द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए जनमानस को लाभ सुविधा पूर्वक कराना उचीत प्रतीत होता है जो इस प्रकार हैं।

बिन्दु (1) यह की राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचनाओ से निर्वाचित होने वाला हर जनप्रतिनिधि के पद के गरिमा के साथ उसके निजि अपने क्षेत्र में कमजोर असहाय तथा अकास्मीत आवश्यक सहयोग करने के लिए सांसद, विधायक राज्यसभा सद निधि के तौर पर ही सभी के पद के नाम निधि प्राप्त करने की व्यवस्था / प्रस्ताव पारित किया जाए, ताकी गाँव में गरीब परिवार के बेटीयो की सादी / बिमारी, अकस्मीत समस्याओं से निजात तत्काल ग्राम प्रधानो / क्षेत्र पंचायत सदस्यो / ग्राम सदस्यो के साथ अन्य निर्वाचित निधि से लाभ तत्काल पहुचाया जायेगा।

बिन्दु (2) यह कि लोक सभा सत्र / विधान सभा सत्र / राज्य सभा सत्र के बैठक में यदि भारत वर्ष की कोई भी मूल निवासी जो जन्म से भारतीय है अपनी तथा अपने क्षेत्र अथवा राज्य या देश के सुनहला, सुहावन विकास योजना अथवा जनहित की समस्याओं को स्वम् उपस्थित हो कर कहना चाहता है अथवा लिखीत प्रत्यावेदन से बताना चाहता है तो उसे ऐसा कानून / प्रस्ताव बनाया जाय कि उसकी उपस्थिति के लिए उसके भारतीय होने की जाँच करकर चालू सत्र में बैठने की नोटीस दिया जाय अथवा उसके प्रत्यावेदन जो लिखीत प्राप्त होता उस पर सर्व सम्मीती से विचार विमर्स कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसे ~~[illegible]~~ प्रतिलिपि से सम्मान पूर्वक अवगत कराया जाय इत्यादि।

बिन्दु (3) यह की हिन्दुस्तान का किसी भी प्रान्त का कोई भी भारतीय यदि प्रश्नतः अपने लेखनी से राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार को किसी भी जनहित के कार्य की प्रगती करने की जानकारी देता है और वह कार्य तब से सुरु होकर पूर्ण होता है उस प्रगती कार्य के पूर्ण होने में उस लिखीत प्रत्यावेदन देने वाले का प्राथमिकता बनता है ऐसे में उसे उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन द्वारा स्मृति चिन्ह तथा प्रोतसाहन धनराशी से प्रोतसाहित करने का प्रस्ताव पारित किया जाय।

अतः आपमहोदयद्वय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सर्वजनिक लाभ के लिए ...